

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी-88 (पार्ट-III)/2021/

दिनांक :

संशोधित आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी-88 (पार्ट-III)/2020/774 दिनांक 02.12.2020 के द्वारा रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक : आरएनसी/शैक्षणिक/2020/6253 दिनांक 02.11.2020 के द्वारा क्रम संख्या 19 पर Chambal School Of Nursing , Raghuvver Pura Chittor Road Hatti Pura Dist. Bundi,,Rajasthan की 40 सीट विभागीय वेबसाईट पर दर्शायी गयी थी।

इस संबंध में उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग के पत्र क्रमांक : प. 24 (34)/चिस्वा./ग्रुप-3/2011 दिनांक 25.02.2021 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 984/2021 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18.01.2021 की पालना में जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2020-21 की काउंसलिंग हेतु उक्त संस्थान को प्रोविजनली 40 के स्थान पर 60 सीट पढा जावे।



(मुकुल शर्मा)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राज0, जयपुर

दिनांक : 22/3/21

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी-88 (पार्ट-III)/2021/231

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
3. अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान निजी नर्सिंग स्कूल्स फ़ैडरेशन, ई-277, नई विधानसभा के पीछे, लाल कोठी योजना, जयपुर।
4. सचिव/समन्वयक प्राईवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस फ़ैडरेशन ऑफ जयपुर 17, मोतीलाल अटल रोड, संगम होटल, पोलोविक्ट्री सिनेमा के पास, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, संबंधित निजी नर्सिंग स्कूल, बून्दी।
6. प्रभारी, सर्वर कक्ष मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश/सूची को विभागीय वेबसाईट पर जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 में अपलोड करने का श्रम करे।
7. उप प्रबंधक (एसीपी) राज. कोम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड, योजना भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानों को जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2020-21 की सूची में सम्मिलित करने का श्रम करे।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।



निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राज0, जयपुर